न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 20/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/232

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।	**बनाम**	कल्पना कंवर पत्नि श्री जब्बर सिंह, जाति राजपुत, निवासी गूलर, तहसील परबतसर।

<u>रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित:–

1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार परबतसर।
2. श्री शरीफ शेरानी वकील अप्रार्थी की ओर से।

:–आदेश–: **दिनांक : 06.05.2025**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार है:–

1. ग्राम शील भकरी तहसील परबतसर में स्थित खसरा नम्बर 111 रकबा 1071.04 बीघा किस्म गै0मु0 नदी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 में दर्ज रही है।
2. मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से आवंटन सम्वत् 2032 तक उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नदी दर्ज रही है।
3. तहसीलदार परबतसर द्वारा नियमन आदेश संख्या 609/66 दिनांक 07.04.1970 के अनुसार ग्राम शील भकरी के खसरा नम्बर 111 रकबा 588 बीघा किस्म गै0मु0 नदी में से 18.00 बीघा भूमि का आवंटन हीरा पुत्र चेला बनजारा भकरी शील के नाम आवंटन करने पर नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 05.06.1976 द्वारा खातेदरी दर्ज की गई।
4. श्री हीरा पुत्र चेला द्वारा बेचान करने पर खसरा नम्बर 111/21 रकबा 18.00 बीघा की खातेदारी श्री गाकुलराम पुत्र हीराराम बनजारा शील भकरी के नाम दर्ज हुई।
5. श्री गोकुलराम पुत्र हीराराम द्वारा बेचान करने पर खसरा नम्बर 111/21 रकबा 18.00 बीघा की खातेदारी श्रीमती कल्पना कंवर/जब्बरसिंह जाति राजपुत गूलर के नाम दर्ज हुई।
6. वर्तमान में ग्राम भकरी शील के खसरा नम्बर 111/21 में से 18 बीघा पर कल्पना कंवर अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार काबिज है।
7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की [illegible] के अनुसार जल स्त्रोत से सम्बन्धित किस्म यथा नही नाला ताला[illegible] भूमियों का आवंटन अपवर्जित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

8. विद्वान उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार परबतसर द्वारा राजस्व कानूनों में आवंटन स अपवर्जित भूमि का आवंटन क्षेत्राधिकार से परे है जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध है। इस प्रकार के आवंटन नियमन आदेश से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है।
9. विद्वान उपखण्ड अधिकारी परबतसर के उक्त आवंटन ओदश से दर्ज नामान्तरण निरस्त योग्य है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्णय दिनांक 02.08.2004 के पैरा संख्या 1 से 4 की पालना अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं जिला कलक्टर नागौर के निर्देशानुसार श्रीमान के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधि विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार परबतसर/बन्दोबस्त विभाग द्वारा किए गए नियमन आदेश से स्वीकृत विधि विरूद्ध नामान्तरकरण को सेट असाईड कर पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रषित करने के आदेश प्रदान करें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। राजपैरोकार का कथन है कि विवादित भूमि गै0मु0 नदी की दर्ज सुदा भूमि रही है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावें तथा अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गै.मु. नदी दर्ज की जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी की खरीद शुदा भूमि है। जो कभी नदी की भूमि नहीं रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड खतोनी ग्राम शील भकरी संवत 2008 के अनुसार ख0नं0 111 रकबा 1071.04 बीघा किस्म गै0मु0 नदी दर्ज है। जो जल स्त्रोत भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई खातेदारी अवैध है तथा निरस्त योग्य है।

रेफरेन्स माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर की डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में पेश किया गया है। जिसमें समय सीमा एवं उजरात मान्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर की सेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

में प्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार परबतसर के नियमन आदेश संख्या 609/66 दिनांक 07.04.1970 एवं पालना में भरे गये ग्राम शील भकरी नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 05.06.1976 के द्वारा हीरा पुत्र चेला बनजारा के खातेदारी दर्ज कि गई व नामान्तरण संख्या 564 के द्वारा खातेदारी अप्रार्थी कल्पना कंवर के नाम दर्ज की गई। उक्त तीनों आदेशों को निरस्त कर उक्त भुमि पुनः राजकीय गै0मु0 नदी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

निर्णय आज दिनांक **06.05.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:30:40 IST
Reason: SelfAttested